संख्या–/276/V-2/2019–05(आ0)/2017टी0सी0

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 13 सितम्बर, 2019

विषयः जनपद–देहरादून के ऋषिकेश तहसील के भू–भाग को मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किये जाने के उपरान्त मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय ऋषिकेश में स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2104/V-2–2017–53(आ0)/2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के मुख्यालय एवं जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों के ढ़ांचे में पदों का सृजन किया गया था। उक्त शासनादेश के क्रम संख्या–12 में हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के ख–3 क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में ऋषिकेश को स्थापित करते हुये यथावश्यक 13 पद सृजित किये गये थे। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तहसील ऋषिकेश के भू–भाग को मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय ऋषिकेश में स्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– शासनादेश संख्या–2104/V-2–2017–53(आ0)/2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के क्रम संख्या–12 ख–3 में सृजित 13 पदों को मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के पुनर्गठित ढ़ांचे में समायोजित किये जाने के आदेश पृथक से निर्गत कर दिये जायेगें।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या–/276/V-2/2019–05(आ0)/2017 टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– उपाध्यक्ष/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
5– एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।